



हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

(Established Under Haryana Board of School Education Act, 1969)

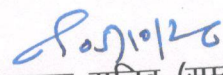
महत्वपूर्ण सूचना

एतद् द्वारा सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी अराजकीय अस्थाई मान्यता प्राप्त विद्यालयों से अस्थाई सम्बद्धता आवेदन फार्म व शुल्क 8000/- रुपये पर 18% GST के साथ ऑनलाईन जमा करवाया जाना है तथा यदि किसी विद्यालय द्वारा बिना विलम्ब शुल्क के अस्थाई सम्बद्धता आवेदन फॉर्म एवं शुल्क जमा नहीं करवाया जाता है तो उस विद्यालय द्वारा विलम्ब शुल्क 5,000/- रुपये पर भी 18% GST सहित अस्थाई सम्बद्धता शुल्क जमा करवाया जाना है। सम्बद्धता शुल्क HDFC बैंक द्वारा Payment Gateway के माध्यम से ऑनलाईन लिया जाना है। अस्थाई मान्यता प्राप्त अराजकीय विद्यालयों द्वारा सम्बद्धता फार्म व शुल्क ऑनलाईन भरने की तिथियाँ निम्न प्रकार से है:-

बिना विलम्ब शुल्क	दिनांक 06.10.2026 से 31.10.2026 तक
विलम्ब शुल्क 5000/- रुपये सहित	दिनांक 01.11.2026 से 10.11.2026 तक

उक्त के अतिरिक्त शैक्षिक सत्र 2026-27 हेतु राजकीय, स्थाई मान्यता प्राप्त अराजकीय विद्यालय एवं गुरुकुल/विद्यापीठों द्वारा सम्बद्धता फार्म व शुल्क ऑनलाईन भरने हेतु विलम्ब शुल्क 5,000/- रुपये पर 18% GST सहित तिथि बढ़ाकर 16.10.2026 कर दी गई है। इस संबंध में पूर्व में जारी शेष हिदायतें यथावत रहेंगी।

सम्बद्धता आवेदन-फार्म व शुल्क ऑनलाईन बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाईन भरा जाना है तथा ऑनलाईन सम्बद्धता फार्म के अनुसार Document upload किये जाने हैं। किसी भी प्रकार की तकनीकी कठिनाई के लिए दूरभाष नं० 01664-254300, 254302 अथवा बोर्ड कार्यालय की सम्बद्धता शाखा के दूरभाष नं० 01664-244171 से 176 Ext. 111 पर किसी भी कार्यदिवस में 09:00AM से 05:00PM तक सम्पर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सम्बद्धता शाखा की ई-मेल आई. डी. asaffi@bseh.org.in पर ईमेल भेजी जा सकती है।


सहायक सचिव (सम्बद्धता)